संख्या-74/2022/।/184915/2022

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई, 2022**

विषय- रायबरेली रोड स्थित एपेक्स ट्रामा सेंटर हेतु शासनादेश दिनांक 15.11.2016 द्वारा सृजित पदों की विसंगतियों का निराकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/मुख्य चिकि0 अधी0/अधि0/0668/ 2022, दिनांक 05/03/2022 आर0एस0डी0-2491/15/185/2022, दिनांक 18.01.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 के एपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु शासनादेश दिनांक 15.11.2016 द्वारा सृजित पदों के वेतनमान में व्याप्त विसंगतियों का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु शासनादेश संख्या- 4399/71-2-2016- पी- 36/2013 दिनांक 15-11-2016 द्वारा सृजित पदों के वेतनमान में एस0जी0पी0जी0आई0 के सापेक्ष निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है :-

क्र0सं0	पदनाम	शासनादेश दिनांक 15.11.2016 में उल्लिखित वेतनमान	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में प्रचलित वेतनमान	एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ के अनुसार एपेक्स ट्रामा सेन्टर में संशोधित वेतनमान
1	तकनीकी अधिकारी (आपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, लैबोरेटरी)	पी0बी0-2 ग्रेड-पे 4200	पी0बी0-2 ग्रेड-पे 4600	पी0बी0-2 ग्रेड-पे 4600
2	नर्सिंग अधीक्षिका	पी0बी0-3	पी0बी0-3	पी0बी0-3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		ग्रेड-पे 5400	ग्रेड-पे 6600	ग्रेड-पे 6600
3	उप नर्सिंग अधीक्षिका	पी0बी0-3 ग्रेड-पे 4600	पी0बी0-3 ग्रेड-पे 5400	पी0बी0-3 ग्रेड-पे 5400
4	सहायक नर्सिंग अधीक्षिका	पी0बी0-3 ग्रेड-पे 4800	पी0बी0-3 ग्रेड-पे 5400	पी0बी0-3 ग्रेड-पे 5400
5	सिस्टर ग्रेड- 1	पी0बी0-2 ग्रेड-पे 4200	पी0बी0-2 ग्रेड-पे 4800	पी0बी0-2 ग्रेड-पे 4800
6	सिस्टर ग्रेड- 2	पी0बी0-2 ग्रेड-पे 4200	पी0बी0-2 ग्रेड-पे 4600	पी0बी0-2 ग्रेड-पे 4600
7	जन सम्पर्क अधिकारी	पी0बी0-3 ग्रेड-पे 5400	पी0बी0-3 ग्रेड-पे 6600	पी0बी0-3 ग्रेड-पे 6600

उपुर्यक्त संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप ट्रामा सेंटर एवं संस्थान की कॉमन जनशक्ति में संख्यात्मक अथवा वेतन निर्धारण सम्बंधित कोई विसंगति उत्पन्न न हो।

1. पदनाम / वेतनमान एवं अर्हता आदि के सम्बन्ध में निदेशक, संस्थान स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
2. उक्त संशोधन शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा तथा इसके लिए किसी एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. उपर्युक्त संशोधन में निहित अतिरिक्त व्ययभार का वहन किये जाने हेतु निदेशक, संस्थान/वित्त नियन्त्रक, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा यथा आवश्यकता बजट व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।
4. उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने में आरक्षण के वर्तमान में प्रभावी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उपर्युक्त तालिका में अंकित गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही नियमावली प्रख्यापित कराने के पश्चात् ही प्रारम्भ करेंगे।
6. शासनादेश संख्या-4399/71-2-2016-पी-36/2013 दिनांक 15-11-2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-64-दस-2022-23 दिनांक 30-06-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार-:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।